

प्रेषक,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग ।

सेवा में

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा,  
सैक्टर-6, पंचकूला ।

यादी क्रमांक 13/1/2017-3एच0बी0  
दिनांक, चण्डीगढ़ 6 अप्रैल, 2017

विषय:- **Regarding NOC for PG Course MD/MS/Diploma in PGIMS, Rohtak (Session-2017).**

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र CFMS Number 21765, दिनांक 31.03.2017 तथा 22469 दिनांक 05.04.2017 के सदर्थ में।

2 सरकार निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को PGIMS, Rohtak से Post Graduation Course (Session 2017) करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी पी0जी0पोलिसी क्रमांक 2/123-05-1एच0बी0-1, दिनांक 23.12.2011 की शर्तों अनुसार प्रदान करती है:-

Sr. No	Name of doctor	Place of posting/ Joining in service
1.	Dr. Amit Yadav	PHC, Nagina (Mewat) 06.10.2012
2.	Dr. Deepak Verma	PHC, Sangwari (Rewari) 30.01.2009
3.	Dr. Shivangi Prashar	CH, Rewari 17.09.2011
4.	Dr. Krishan Kumar	CHC, Meerpur (Rewari) 03.02.2011
5.	Dr. Vandana Yadav	CH, Rewari 23.06.2010
6.	Dr. Navin Yadav	CHC, Gurawara (Rewari) 12.10.2012
7.	Dr. Rahul Singh Jalaunia	CH, Panipat 07.01.2011

यदि उपरोक्त चिकित्सा अधिकारियों का चयन उक्त कोर्स के लिए हो जाता है तो पी0जी0 पोलिसी क्रमांक 2/123/2005-1एच0बी0-1, दिनांक 23.12.2011, 30.5.2012 की शर्तों अनुसार उन चिकित्सा अधिकारियों को निम्न शर्तों की पालना करना होगा :-

	रिजर्व सीट हेतु शर्तें	ओपन सीट हेतु शर्तें
1.	अधिकारी पी0जी0कोर्स (एम0डी0/एम0एस0) करने की एवज में हरियाणा राज्य की कम से कम 7 वर्ष की सेवा करने या 25 लाख रुपये की राशि सरकारी कोर्स में जमा करवाने का बन्ध पत्र भरेगा तथा डिप्लोमा कोर्स करने की एवज में हरियाणा राज्य (HCMS Cadre) की कम से कम 5 वर्ष की सेवा करने या 10 लाख रुपये की राशि सरकारी कोर्स में जमा करवाने का बन्ध पत्र भरेगा।	अधिकारी पी0जी0कोर्स (एम0डी0/एम0एस0) करने की एवज में हरियाणा राज्य की कम से कम 7 वर्ष की सेवा करने या 25 लाख रुपये की राशि सरकारी कोर्स में जमा करवाने का बन्ध पत्र भरेगा तथा डिप्लोमा कोर्स करने की एवज में हरियाणा राज्य (एच0सी0एम0एस0काडर) की कम से कम 5 वर्ष की सेवा करने या 10 लाख रुपये की राशि सरकारी कोर्स में जमा करवाने का बन्ध पत्र भरेगा/भरेगी।
2.	अधिकारी को पी0जी0 पोलिसी दिनांक 23/27.12.2011 में वर्णित 29 स्ट्रीम में ही पी0जी0कोर्स करने की अवधि का पूर्ण वेतन मिलेगा तथा इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए गिना जायेगा। अधिकारी को सम्बन्धित संस्था से जो भी स्टार्डफण्ड मिलेगा वह सरकारी खजाने में जमा करवायेगा।	अधिकारी को पी0जी0 पोलिसी दिनांक 23/27.12.2011 में वर्णित 29 स्ट्रीम में ही पी0जी0कोर्स करने की अवधि का पूर्ण वेतन मिलेगा तथा इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए गिना जायेगा। अधिकारी को सम्बन्धित संस्था से जो भी स्टार्डफण्ड मिलेगा वह सरकार खजाने में जमा करवायेगा/करवायेगी। यदि Open Seat की 15 सीट पूर्ण हो जाती है तो अधिकारी बिना वेतन के अवकाश पर ही जाएगा/जाएगी।

BBL  
6-4-17

Contd... 2 ...

3.	अधिकारी उक्त कोर्स ज्वाइन करने उपरान्त कोर्स पूर्ण नहीं करता है तथा कोर्स बीच में छोड़ता है तो कोर्स के लिए भारमुक्त करने की तिथि से पुनः सेवा ज्वाइन करने की तिथि तक की अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं गिना जायेगा। इसके अतिरिक्त उसे अगले 5 वर्ष तक उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।	अधिकारी उक्त कोर्स ज्वाइन करने उपरान्त कोर्स पूर्ण नहीं करता है तथा कोर्स बीच में छोड़ता है तो कोर्स के लिए भारमुक्त करने की तिथि से पुनः सेवा ज्वाइन करने की तिथि तक की अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं गिना जायेगा। इसके अतिरिक्त उसे अगले 5 वर्ष तक उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
4.	अधिकारी उक्त कोर्स करने के पश्चात् शैक्षणिक आधार पर किसी प्रकार से उच्च पद के लिए आउट ऑफ दी वे पदोन्नति की या किसी अतिरिक्त वेतनवृद्धि की मांग नहीं करेगा।	अधिकारी उक्त कोर्स करने के पश्चात् शैक्षणिक आधार पर किसी प्रकार से उच्च पद के लिए आउट ऑफ दी वे पदोन्नति की या किसी अतिरिक्त वेतनवृद्धि की मांग नहीं करेगा/करेगी।
5.	अधिकारी भारमुक्त होने से पूर्व एम0बी0बी0एस0 की मूल डिग्री तथा बंध पत्र भरकर निदेशालय में जमा करवायेगा।	अधिकारी भारमुक्त होने से पूर्व एम0बी0बी0एस0 की मूल डिग्री तथा बन्ध पत्र भरकर निदेशालय में जमा करवायेगा/करवायेगी।

नोट:-यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ये चिकित्सा अधिकारी सरकार द्वारा जारी पी0जी0पोलिसी कमांक 2/123-05-1एच0बी0-1, दिनांक 23.12.2011 अनुसार सभी शर्तें पूर्ण करते हों।

*Bhamb Bhamban 8.4.17*

अधीक्षक स्वास्थ्य-1

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग 1 8/11/17

पृष्ठांकन कमांक 13/1/2017-3एच0बी01

दिनांक, चण्डीगढ़ 6 अप्रैल, 2017

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निदेशक, PGIMS, Rohtak आपसे अनुरोध है कि चिकित्सा अधिकारी का चयन यदि उक्त कोर्स हेतु हो जाता है तो अधिकारी द्वारा कोर्स पूर्ण करने उपरान्त डिग्री सीधे ही महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकूला को भेजें।
2. सिविल सर्जन, Mewat/ Rewari/ Panipat.
3. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी।

*Bhamb Bhamban 8.4.17*

अधीक्षक स्वास्थ्य-1

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग 1 8/11/17